मध्य प्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय, भोपाल

क्रमांकः 313 / 2163/2017/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 13 फरवरी, 2018

प्रति,

1. प्रमुख सचिव
   मध्य प्रदेश शासन
   लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
2. प्रमुख सचिव
   मध्य प्रदेश शासन
   श्रम विभाग

विषय- शासकीय चिकित्सकों को अव्यवसायिक वेतन भत्ता पर देय मंहगाई भत्ता ।

---

म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के क्रम में जारी वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 8-1/2016/नियम/चार, दिनांक 22 जुलाई 2017 के पैरा 15 अनुसार यात्रा भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, परियोजना भत्ता, अनुसूचित क्षेत्र भत्ता, अव्यवसायिक भत्ता (N.P.A.) तथा प्रतिनियुक्ति भत्ता, अवकाश यात्रा सुविधा तथा अन्य सुविधाएं जो मूल वेतन से जुड़ी हुई थीं, पूर्व के वेतन संरचना के आधार पर ही देय होगीं ।

2/ उपर्युक्त के परिणामस्वरूप यह समक्ष में आया है कि अव्यवसायिक भत्ता प्राप्त कर रहे चिकित्सकों को अव्यवसायिक भत्ते की राशि पर पुनरीक्षित वेतन (सातवें वेतनमान) में मंहगाई भत्ते की देय दर अनुसार मंहगाई भत्ता प्राप्त होने से कतिपय चिकित्सकों के सकल वेतन में कमी होने की स्थिति बन गई है । अतः इस विसंगति के निराकरण के लिए निर्णय लिया गया है कि ऐसे चिकित्सक जिन्हें वेतन पुनरीक्षण उपरान्त भी अव्यवसायिक भत्ता प्राप्त हो रहा है, को दिनांक 31-12-2015 की स्थिति में प्राप्त किए जा रहे अव्यवसायिक भत्ते की राशि पर छटवें वेतनमान में समय-समय पर देय मंहगाई भत्ता की दर अनुसार मंहगाई भत्ता दिया जाए ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांकः 314 /2163/2017/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 13 फरवरी, 2018

प्रतिलिपि,

आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग

RJ2015